रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122022-241239
CG-DL-E-20122022-241239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 5701] | नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2022/अग्रहायण 28, 1944 |
| No. 5701] | NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2022/AGRAHAYANA 28, 1944 |


## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

## (औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

## आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

**का. आ. 5937(अ).**—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

**तालिका**

| क्रं सं | विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलनेट ओरल सस्पेंशन आईपी | प्रत्येक कॉम्बिपैक में हैं:<br>(ए) एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलनेट ओरल सस्पेंशन आईपी कम्पोजीसन:<br>प्रत्येक 5 मि.ली. रीकोंस्टिट्यूटेड | कॉम्बि पैक | मेसर्स मलिक लाइफसाइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एबट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड | 168.43 |

| क्रं सं | विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | सस्पेंशन में:<br>एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी अमोक्सिसिलिन 600 मिलीग्राम के बराबर<br>पोटेशियम क्लावुलनेट डिलूटेड आईपी क्लेवुलेनिक एसिड 42.9 मिलीग्राम के बराबर<br>(बी) 2 एम्पुल ओफ 25 मि.ली. प्रत्येक स्टेरिल वाटर फोर रीकोंस्टिट्यूसन ओफ ड्राय सिरप | | | |
| **2.** | मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एसआर), ग्लिमेपाइराइड और वोग्लिबोस गोली | प्रत्येक अनलेपित बिलेयर गोली में:<br>मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (सस्टेन्ड रिलीज़)<br>ग्लिमेपाइराइड आईपी 1 मिलीग्राम<br>वोग्लिबोस आईपी 0.2 मिलीग्राम | 1 गोली | मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स एबट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड | 11.60 |
| 3. | मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एसआर), ग्लिमेपाइराइड और वोग्लिबोस गोली | प्रत्येक अनलेपित बिलेयर गोली में:<br>मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (सस्टेन्ड रिलीज़)<br>ग्लिमेपाइराइड आईपी 2 मिलीग्राम<br>वोग्लिबोस आईपी 0.2 मिलीग्राम | 1 गोली | मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स एबट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड | 13.18 |
| 4. | सेफ्टाज़िडाइम और एविबैक्टम पाउडर फोर कोंसंट्रेट फोर सोल्यूशन फोर इन्फ्यूजन | प्रत्येक वाइल में:<br>सेफ्टाज़िडाइम (पेंटाहाइड्रेट) आईपी सेफ्टाज़िडाइम 2 मिलीग्राम के बराबर<br>एविबैक्टम सोडियम एविबैक्टम 0.5 ग्राम के बराबर<br>सोडियम कोंटेंट एप्रोक्स 148 मिलीग्राम (6.4 मेग)/वाइल | पर वाइल | मैसर्स सिप्ला लिमिटेड | 2500.00 |
| 5. | मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड और लोटेप्रेडनोल ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन | कम्पोजीसन:<br>मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% डब्ल्यू / वी के बराबर<br>लोटेप्रेडनोल एटाबोनेट 0.5% डब्ल्यू / वी (स्टेरिल और माइक्रोनाइज़्ड)<br>स्टेरिल अक्वयस बफ़र्ड<br>वेहीकल क्यू. एस. | पर मि.ली. | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स सिप्ला लिमिटेड | 27.43 |
| 6. | इट्राकोनाजोल कैप्सूल 65 मि.ग्रा. (सुपरा-बायोअवेलेबल फॉर्म्युलेशन) | प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में:<br>इट्राकोनाजोल बीपी 65 मिग्रा | 1 कैप्सूल | मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड | 11.60 |
| 7. | एसिटाइलसिस्टीन और एसीब्रोफिललाइन गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में:<br>एसिटाइलसिस्टीन बीपी 600 मिलीग्राम<br>एसीब्रोफिललाइन 100 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स प्योर एंड केयर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | 14.91 |
| 8. | पेरासिटामोल, | प्रत्येक अनकोटेड गोली में: | 1 गोली | मेसर्स डलास ड्रग्स प्रा. | 2.76 |

| क्रं सं | विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रू.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन और डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | पेरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम<br>फिनाइलफ्राइन एचसीएल आईपी 5 मिलीग्राम<br>कैफीन आईपी 30 मिलीग्राम<br>डीफेनहाइड्रामाइन एचसीएल आईपी 25 मिलीग्राम | | लिमिटेड / मैसर्स माइक्रो लैब्स प्रा. लिमिटेड | |
| 9. | रैबेप्राजोल और ओंडान्सेट्रॉन गोलियाँ | प्रत्येक एंटरिक कोटेड गोली में:<br>रैबेप्राजोल सोडियम आईपी 20 मिलीग्राम<br>ओन्डेनसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड आईपी ओंडान्सेट्रॉन को 4 मिलीग्राम के बराबर | 1 गोली | मेसर्स डलास ड्रग्स प्रा. लिमिटेड / मैसर्स माइक्रो लैब्स प्रा. लिमिटेड | 5.90 |
| 10. | एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलनेट ओरल सस्पेंशन आईपी | प्रत्येक 5 मि.ली. रीकोंस्टिट्यूटेड सस्पेंशन में:<br>एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी अमोक्सिसिलिन 600 मिलीग्राम के बराबर<br>पोटेशियम क्लावुलनेट डिलूटेड आईपी क्लेवुलेनिक एसिड 42.9 मिलीग्राम के बराबर | पर वाईल (50 मि.ली. | मेसर्स मलिक लाइफसाइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स ज़ुवेंटस हेल्थकेयर लिमिटेड | 168.43 |

**नोट:**

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई तालिका के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापीं राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(ङ.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती है।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेंथ और नाम के साथए उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूपए कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन

कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए होए तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[फा. सं. पीएन/237/105/2022/एफ/फा.न.8(105)/2022/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप-निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Pharmaceuticals)**

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

**ORDER**

New Delhi, the 19th December, 2022

**S.O. 5937(E).—**In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

**TABLE**

| Sl. No. | Name of the Formulation / Brand Name | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Amoxycillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension IP | Each Combi pack contains:<br>(A) Amoxycillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension IP Composition:<br>Each 5ml of Reconstituted suspension contains:<br>Amoxycillin Trihydrate IP eq. to Amoxycillin 600mg<br>Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 42.9mg<br>(B) 2 Ampoule of 25ml each of Sterile Water for Reconstitution of Dry Syrup | Combi Pack | M/s Malik Lifesciences Pvt. Ltd. / M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd. | 168.43 |
| 2. | Metformin Hydrochloride (SR), Glimepiride and Voglibose Tablets | Each uncoated bilayered tablet contains:<br>Metformin Hydrochloride IP 1000mg (as Sustained Release form)<br>Glimepiride IP 1mg<br>Voglibose IP 0.2mg | 1 Tablet | M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd. | 11.60 |
| 3. | Metformin Hydrochloride (SR), Glimepiride and Voglibose Tablets | Each uncoated bilayered tablet contains:<br>Metformin Hydrochloride IP 1000mg (as Sustained Release form)<br>Glimepiride IP 2mg<br>Voglibose IP 0.2mg | 1 Tablet | M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd. | 13.18 |
| 4. | Ceftazidime and Avibactam powder for concentrate for solution for | Each vial contains:<br>Ceftazidime (pentahydrate) IP eq. to Ceftazidime 2mg<br>Avibactam Sodium eq. to Avibactam 0.5gm | Per Vial | M/s Cipla Limited | 2500.00 |

| Sl. No. | Name of the Formulation / Brand Name | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | infusion | Sodium content approx. 148mg (6.4meq)/vial | | | |
| 5. | Moxifloxacin Hydrochloride and Loteprednol Ophthalmic Suspension | Composition:<br>Moxifloxacin Hydrochloride IP eq. to Moxifloxacin 0.5% w/v<br>Loteprednol Etabonate 0.5% w/v (Sterile & Micronized)<br>Sterile aqueous buffered vehicle q.s. | Per ml | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Cipla Limited | 27.43 |
| 6. | Itraconazole Capsules 65mg (Supra-Bioavailable Formulation) | Each hard gelatin capsule contains:<br>Itraconazole BP 65mg | 1 Capsule | M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Mankind Pharma Ltd. | 11.60 |
| 7. | Acetylcysteine & Acebrophylline Tablets | Each film coated tablet contains:<br>Acetylcysteine BP 600mg<br>Acebrophylline 100mg | 1 Tablet | M/s Pure and Care Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Limited | 14.91 |
| 8. | Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Caffeine & Diphenhydramine Hydrochloride Tablets | Each uncoated tablet contains:<br>Paracetamol IP 500mg<br>Phenylephrine HCl IP 5mg<br>Caffeine IP 30mg<br>Diphenhydramine HCl IP 25mg | 1 Tablet | M/s Dallas Drugs Pvt. Ltd. / M/s Micro Labs Pvt. Ltd. | 2.76 |
| 9. | Rabeprazole and Ondansetron tablets | Each Enteric coated tablet contains:<br>Rabeprazole Sodium IP 20mg<br>Ondansetron Hydrochloride IP eq. to Ondansetron 4mg | 1 Tablet | M/s Dallas Drugs Pvt. Ltd. / M/s Micro Labs Pvt. Ltd. | 5.90 |
| 10. | Amoxycillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension IP | Each 5ml of Reconstituted suspension contains:<br>Amoxycillin Trihydrate IP eq. to Amoxycillin 600mg<br>Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 42.9mg | Per Vial (50ml) | M/s Malik Lifesciences Pvt. Ltd. / M/s Zuventus Healthcare Limited | 168.43 |

**Note:**

(a) The manufacturer of above-mentioned formulations i.e., “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.

(b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.

(c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent

Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.

(f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

(g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[F. No. PN/237/105/2022/F /F. No. 8(105)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 5938(अ).—**भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का.आ. 1499(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 और का. आ. 4589(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2022 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्मिति पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमषः तत्स्थानी प्रविश्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती हैः

**सारणी**

| **क्र.सं.** | **अनुसूचित विनिर्मिति का नाम** | **खुराक रूप एवं प्रबलता** | **इकाई** | **अधिकतम कीमत (रु.)** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | पेरासिटामोल | गोली 650 मिलीग्राम | 1 गोली | 1.78 |
| 2 | एलोप्यूरिनॉल | गोली 300 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.02 |
| 3 | हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 12.31 |
| 4 | कार्बामेजापाइन | मोडीफाइड रिलीज – गोली 200 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.14 |
| 5 | कार्बामेजापाइन | मोडीफाइड रिलीज– गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.16 |
| 6 | कार्बामेजापाइन | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.17 |
| 7 | क्लोबाज़म | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.94 |
| 8 | क्लोबाज़म | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 8.55 |
| 9 | लेवेटिरासेटम | गोली 250 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.57 |
| 10 | लेवेटिरासेटम | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 11.40 |
| 11 | लेवेटिरासेटम | मोडीफाइड रिलीज गोली 750 मिलीग्राम | 1 गोली | 16.32 |
| 12 | लेवेटिरासेटम | गोली 750 मिलीग्राम | 1 गोली | 16.98 |
| 13 | लोराजेपेम | गोली 1 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.06 |
| 14 | लोराजेपेम | गोली 2 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.51 |
| 15 | सोडियम वैल्प्रोएट | गोली 300 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.98 |
| 16 | मेबेंडाजोल | गोली 100 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.59 |

| क्र.सं. | अनुसूचित विनिर्मिति का नाम | खुराक रूप एवं प्रबलता | इकाई | अधिकतम कीमत (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | डायथाइलकार्बामाज़ीन (डी ई सी) | गोली 100 मिलीग्राम | 1 गोली | 1.49 |
| 18 | सेफैड्रोसिल | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.99 |
| 19 | आर्टेमेडर (ए) + ल्यूमफैंट्रिन (बी) | गोली 80 मिलीग्राम (ए) + 480 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 22.75 |
| 20 | आर्टेमेडर (ए) + ल्यूमफैंट्रिन (बी) | गोली 20 मिलीग्राम (ए) + 120 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 11.28 |
| 21 | सेफिक्सिम | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 19.71 |
| 22 | क्लैरिथ्रोमाइसिन | गोली 250 मिलीग्राम | 1 गोली | 21.04 |
| 23 | क्लैरिथ्रोमाइसिन | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 34.61 |
| 24 | साइक्लोसेरीन | कैप्सूल250 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 52.79 |
| 25 | एथिओनामाइड | गोली 250 मिलीग्राम | 1 गोली | 13.21 |
| 26 | लिवोफ़्लॉक्सासिन | गोली 250 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.25 |
| 27 | लिवोफ़्लॉक्सासिन | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 7.85 |
| 28 | लिवोफ़्लॉक्सासिन | गोली 750 मिलीग्राम | 1 गोली | 10.69 |
| 29 | लिनेज़ोलिड | गोली 600 मिलीग्राम | 1 गोली | 31.81 |
| 30 | मोक्सीफ्लोक्सासिन | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 22.79 |
| 31 | रिफैम्पिसिन | कैप्सूल 600 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 10.13 |
| 32 | फ्लुकोनाज़ोल | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 26.53 |
| 33 | अबाकवीर | गोली 300 मिलीग्राम | 1 गोली | 43.34 |
| 34 | अबाकवीर (ए) + लामिवुडाइन (बी) | गोली 600 मिलीग्राम (ए) +300 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 64.50 |
| 35 | नेविरेपीन | गोली 200 मिलीग्राम | 1 गोली | 14.09 |
| 36 | राल्टेग्रेविर | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 131.81 |
| 37 | दारुनवीर | गोली 600 मिलीग्राम | 1 गोली | 137.73 |
| 38 | एंटेकावीर | गोली 1 मिलीग्राम | 1 गोली | 116.15 |
| 39 | सोफोसबुवीर | गोली 400 मिलीग्राम | 1 गोली | 468.32 |
| 40 | क्लिंडामाइसिन | कैप्सूल 150 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 14.59 |
| 41 | क्लिंडामाइसिन | कैप्सूल 300 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 25.30 |
| 42 | फ्लुनारिज़िन | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.21 |
| 43 | फ्लुनारिज़िन | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.30 |
| 44 | लेवोडोपा (ए) + कार्बिडोपा (बी) | गोली 100 मिलीग्राम (ए) + 25 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 2.30 |
| 45 | लेवोडोपा (ए) + कार्बिडोपा (बी) | गोली 100 मिलीग्राम (ए) + 10 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 1.57 |
| 46 | लेवोडोपा (ए) + कार्बिडोपा (बी) | गोली 250 मिलीग्राम (ए) +25 मिलीग्राम (बी) | 1 गोली | 3.94 |
| 47 | आइसोसॉरबाइड डिनिट्रेट | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 0.73 |
| 48 | अम्लोडिपिन | गोली 2.5 मिलीग्राम | 1 गोली | 1.59 |
| 49 | अम्लोडिपिन | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.23 |
| 50 | अम्लोडिपिन | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.81 |
| 51 | रामिप्रिल | गोली 2.5 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.65 |

| क्र.सं. | अनुसूचित विनिर्मिति का नाम | खुराक रूप एवं प्रबलता | इकाई | अधिकतम कीमत (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 52 | रामिप्रिल | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 7.30 |
| 53 | टेल्मिसर्टन | गोली 20 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.44 |
| 54 | टेल्मिसर्टन | गोली 40 मिलीग्राम | 1 गोली | 6.03 |
| 55 | टेल्मिसर्टन | गोली 80 मिलीग्राम | 1 गोली | 9.24 |
| 56 | मेटफोर्मिन | गोली 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.11 |
| 57 | मेटफोर्मिन | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 1.77 |
| 58 | ग्लिमेपाइराइड | गोली 2 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.11 |
| 59 | ग्लिमेपाइराइड | गोली 1 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.27 |
| 60 | डोनेपेज़िल | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 15.24 |
| 61 | डोनेपेज़िल | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 10.57 |
| 62 | एटोरवास्टेटिन | गोली 40 मिलीग्राम | 1 गोली | 16.92 |
| 63 | एटोरवास्टेटिन | गोली 20 मिलीग्राम | 1 गोली | 11.01 |
| 64 | एटोरवास्टेटिन | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.38 |
| 65 | बैक्लोफ़ेन | गोली 20 मिलीग्राम | 1 गोली | 14.52 |
| 66 | बैक्लोफ़ेन | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 10.39 |
| 67 | बैक्लोफ़ेन | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.68 |
| 68 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 50 एमसीजी | 1 गोली | 0.92 |
| 69 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 75 एमसीजी | 1 गोली | 1.28 |
| 70 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 88 एमसीजी | 1 गोली | 1.47 |
| 71 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 150 एमसीजी | 1 गोली | 1.59 |
| 72 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 112 एमसीजी | 1 गोली | 1.48 |
| 73 | लेवोथायरोक्सिन | गोली 25 एमसीजी | 1 गोली | 1.29 |
| 74 | मेटफोर्मिन | मोडीफाइड रिलीज गोली 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.52 |
| 75 | वेकुरोनियम | पाउडर फोर इंजेक्शन 10 मिलीग्राम | प्रत्येक वाईल | 104.67 |
| 76 | वेकुरोनियम | पाउडर फोर इंजेक्शन 4 मिलीग्राम | प्रत्येक वाईल | 66.36 |
| 77 | कैपेसिटाबाइन | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 100.53 |
| 78 | मिसोप्रोस्टोल | गोली 200 एमसीजी | 1 गोली | 16.92 |
| 79 | कॉलेकैल्सिफेरॉल | गोली 1000 आईयू | 1 गोली | 3.84 |
| 80 | मेस्ना | इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/मि.ली. | 1 मि.ली. | 13.83 |
| 81 | मेफ़ानामिक एसिड | ओरल लिक्विड 100 मिलीग्राम / 5 मि.ली. (पी) | 1 मि.ली. | 0.50 |
| 82 | हैलोपेरीडोल | गोली 1.5 मिलीग्राम | 1 गोली | 1.37 |
| 83 | हैलोपेरीडोल | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 3.18 |
| 84 | हैलोपेरीडोल | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.26 |
| 85 | बाइकलुटामाइड | गोली 50 मिलीग्राम | 1 गोली | 38.62 |
| 86 | लेट्रोज़ोल | गोली 2.5 मिलीग्राम | 1 गोली | 26.15 |
| 87 | मायकोफेनोलेट मोफेटिल | गोली 500 मिलीग्राम | 1 गोली | 65.89 |
| 88 | ऐमिट्रिप्टिलाइन | गोली 50 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.34 |

| क्र.सं. | अनुसूचित विनिर्मिति का नाम | खुराक रूप एवं प्रबलता | इकाई | अधिकतम कीमत (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 89 | ऐमिट्रिप्टिलाइन | गोली 75 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.77 |
| 90 | हेपारिन | इंजेक्शन 1000 आईयू/ मि.ली. | 1 मि.ली. | 18.92 |
| 91 | हेपारिन | इंजेक्शन 5000 आईयू / मि.ली. | 1 मि.ली. | 53.48 |
| 92 | ऐमिट्रिप्टिलाइन | गोली 25 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.16 |
| 93 | फ्लुक्सोटाइन | कैप्सूल 20 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 3.56 |
| 94 | फ्लुक्सोटाइन | कैप्सूल 60 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 9.90 |
| 95 | फ्लुक्सोटाइन | कैप्सूल 40 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 5.79 |
| 96 | फ्लुक्सोटाइन | कैप्सूल 10 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 2.96 |
| 97 | टैक्रोलिमस | कैप्सूल 0.5 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 18.43 |
| 98 | टैक्रोलिमस | कैप्सूल 1 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 36.23 |
| 99 | टैक्रोलिमस | कैप्सूल 2 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 75.22 |
| 100 | टेमोज़ोलोमाइड | कैप्सूल 20 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 393.60 |
| 101 | टेमोज़ोलोमाइड | कैप्सूल 250 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 3838.48 |
| 102 | ज़ोल्पीडेम | गोली 5 मिलीग्राम | 1 गोली | 5.44 |
| 103 | ज़ोल्पीडेम | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 7.59 |
| 104 | लोपेरामाइड | गोली 2 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.03 |
| 105 | रिसपेरीडोन | गोली 1 मिलीग्राम | 1 गोली | 2.66 |
| 106 | रिसपेरीडोन | गोली 2 मिलीग्राम | 1 गोली | 4.00 |
| 107 | रिसपेरीडोन | गोली 4 मिलीग्राम | 1 गोली | 6.56 |

**नोट:**

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितयों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्ष के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2(यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-IV के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[फा. सं. पीएन/237/105/2022/एफ/फा.न.8(105)/2022/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 19th December, 2022

**S.O. 5938(E).—**In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No SO 1499(E) dated 30th March, 2022 and SO No 4589(E) dated 29th September, 2022 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

| Sl. No. | Name of the Scheduled Formulation | Dosage form and strength | Unit | Ceiling Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Paracetamol | Tablet 650mg | 1 Tablet | 1.78 |
| 2 | Allopurinol | Tablet 300mg | 1 Tablet | 5.02 |
| 3 | Hydroxychloroquine | Tablet 400mg | 1 Tablet | 12.31 |
| 4 | Carbamazepine | Modified Release – Tablet 200mg | 1 Tablet | 2.14 |
| 5 | Carbamazepine | Modified Release – Tablet 400mg | 1 Tablet | 4.16 |
| 6 | Carbamazepine | Tablet 400mg | 1 Tablet | 3.17 |
| 7 | Clobazam | Tablet 5mg | 1 Tablet | 4.94 |
| 8 | Clobazam | Tablet 10mg | 1 Tablet | 8.55 |
| 9 | Levetiracetam | Tablet 250mg | 1 Tablet | 5.57 |
| 10 | Levetiracetam | Tablet 500mg | 1 Tablet | 11.40 |
| 11 | Levetiracetam | Modified Release Tablet 750mg | 1 Tablet | 16.32 |
| 12 | Levetiracetam | Tablet 750mg | 1 Tablet | 16.98 |
| 13 | Lorazepam | Tablet 1 mg | 1 Tablet | 2.06 |
| 14 | Lorazepam | Tablet 2 mg | 1 Tablet | 2.51 |
| 15 | Sodium Valproate | Tablet 300mg | 1 Tablet | 3.98 |
| 16 | Mebendazole | Tablet 100 mg | 1 Tablet | 2.59 |

| Sl. No. | Name of the Scheduled Formulation | Dosage form and strength | Unit | Ceiling Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Diethylcarbamazine (DEC) | Tablet 100mg | 1 Tablet | 1.49 |
| 18 | Cefadroxil | Tablet 500mg | 1 Tablet | 3.99 |
| 19 | Artemether (A) +Lumefantrine(B) | Tablet 80mg(A)+480mg(B) | 1 Tablet | 22.75 |
| 20 | Artemether (A) +Lumefantrine(B) | Tablet 20 mg (A) + 120 mg (B) | 1 Tablet | 11.28 |
| 21 | Cefixime | Tablet 400mg | 1 Tablet | 19.71 |
| 22 | Clarithromycin | Tablet 250mg | 1 Tablet | 21.04 |
| 23 | Clarithromycin | Tablet 500mg | 1 Tablet | 34.61 |
| 24 | Cycloserine | Capsule250mg | 1 Capsule | 52.79 |
| 25 | Ethionamide | Tablet 250mg | 1 Tablet | 13.21 |
| 26 | Levofloxacin | Tablet 250mg | 1 Tablet | 4.25 |
| 27 | Levofloxacin | Tablet 500mg | 1 Tablet | 7.85 |
| 28 | Levofloxacin | Tablet 750mg | 1 Tablet | 10.69 |
| 29 | Linezolid | Tablet 600mg | 1 Tablet | 31.81 |
| 30 | Moxifloxacin | Tablet 400mg | 1 Tablet | 22.79 |
| 31 | Rifampicin | Capsule 600mg | 1 Capsule | 10.13 |
| 32 | Fluconazole | Tablet 400mg | 1 Tablet | 26.53 |
| 33 | Abacavir | Tablet 300 mg | 1 Tablet | 43.34 |
| 34 | Abacavir (A) +Lamivudine(B) | Tablet 600mg (A) +300mg (B) | 1 Tablet | 64.50 |
| 35 | Nevirapine | Tablet 200 mg | 1 Tablet | 14.09 |
| 36 | Raltegravir | Tablet 400mg | 1 Tablet | 131.81 |
| 37 | Darunavir | Tablet 600mg | 1 Tablet | 137.73 |
| 38 | Entecavir | Tablet 1mg | 1 Tablet | 116.15 |
| 39 | Sofosbuvir | Tablet 400mg | 1 Tablet | 468.32 |
| 40 | Clindamycin | Capsule 150mg | 1 Capsule | 14.59 |
| 41 | Clindamycin | Capsule 300mg | 1 Capsule | 25.30 |
| 42 | Flunarizine | Tablet 5mg | 1 Tablet | 2.21 |
| 43 | Flunarizine | Tablet 10mg | 1 Tablet | 4.30 |
| 44 | Levodopa (A) +Carbidopa(B) | Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B) | 1 Tablet | 2.30 |
| 45 | Levodopa (A) +Carbidopa(B) | Tablet 100 mg (A) + 10 mg (B) | 1 Tablet | 1.57 |
| 46 | Levodopa (A) +Carbidopa(B) | Tablet 250mg(A) +25mg(B) | 1 Tablet | 3.94 |
| 47 | Isosorbide dinitrate | Tablet 5mg | 1 Tablet | 0.73 |
| 48 | Amlodipine | Tablet 2.5mg | 1 Tablet | 1.59 |
| 49 | Amlodipine | Tablet 5mg | 1 Tablet | 2.23 |
| 50 | Amlodipine | Tablet 10mg | 1 Tablet | 4.81 |
| 51 | Ramipril | Tablet 2.5 mg | 1 Tablet | 4.65 |
| 52 | Ramipril | Tablet 5mg | 1 Tablet | 7.30 |
| 53 | Telmisartan | Tablet 20mg | 1 Tablet | 3.44 |
| 54 | Telmisartan | Tablet 40mg | 1 Tablet | 6.03 |
| 55 | Telmisartan | Tablet 80mg | 1 Tablet | 9.24 |
| 56 | Metformin | Tablet 1000mg | 1 Tablet | 3.11 |
| 57 | Metformin | Tablet 500mg | 1 Tablet | 1.77 |
| 58 | Glimepiride | Tablet 2mg | 1 Tablet | 5.11 |
| 59 | Glimepiride | Tablet 1mg | 1 Tablet | 3.27 |
| 60 | Donepezil | Tablet 10mg | 1 Tablet | 15.24 |
| 61 | Donepezil | Tablet 5mg | 1 Tablet | 10.57 |
| 62 | Atorvastatin | Tablet 40mg | 1 Tablet | 16.92 |
| 63 | Atorvastatin | Tablet 20mg | 1 Tablet | 11.01 |
| 64 | Atorvastatin | Tablet 10mg | 1 Tablet | 4.38 |
| 65 | Baclofen | Tablet 20mg | 1 Tablet | 14.52 |
| 66 | Baclofen | Tablet 10mg | 1 Tablet | 10.39 |
| 67 | Baclofen | Tablet 5mg | 1 Tablet | 5.68 |
| 68 | Levothyroxine | Tablet 50mcg | 1 Tablet | 0.92 |
| 69 | Levothyroxine | Tablet 75mcg | 1 Tablet | 1.28 |
| 70 | Levothyroxine | Tablet 88 mcg | 1 Tablet | 1.47 |
| 71 | Levothyroxine | Tablet 150 mcg | 1 Tablet | 1.59 |
| 72 | Levothyroxine | Tablet 112 mcg | 1 Tablet | 1.48 |

| Sl. No. | Name of the Scheduled Formulation | Dosage form and strength | Unit | Ceiling Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Levothyroxine | Tablet 25 mcg | 1 Tablet | 1.29 |
| 74 | Metformin | Modified release Tablet 1000mg | 1 Tablet | 3.52 |
| 75 | Vecuronium | Powder for injection 10mg | Each Vial | 104.67 |
| 76 | Vecuronium | Powder for injection 4 mg | Each Vial | 66.36 |
| 77 | Capecitabine | Tablet 500mg | 1 Tablet | 100.53 |
| 78 | Misoprostol | Tablet 200mcg | 1 Tablet | 16.92 |
| 79 | Cholecalciferol | Tablet 1000 IU | 1 Tablet | 3.84 |
| 80 | Mesna | Injection 100mg/mL | 1 ML | 13.83 |
| 81 | Mefenamic acid | Oral liquid 100mg/5mL(p) | 1 ML | 0.50 |
| 82 | Haloperidol | Tablet 1.5mg | 1 Tablet | 1.37 |
| 83 | Haloperidol | Tablet 5mg | 1 Tablet | 3.18 |
| 84 | Haloperidol | Tablet 10mg | 1 Tablet | 4.26 |
| 85 | Bicalutamide | Tablet 50mg | 1 Tablet | 38.62 |
| 86 | Letrozole | Tablet 2.5mg | 1 Tablet | 26.15 |
| 87 | Mycophenolate mofetil | Tablet 500mg | 1 Tablet | 65.89 |
| 88 | Amitriptyline | Tablet 50mg | 1 Tablet | 5.34 |
| 89 | Amitriptyline | Tablet 75mg | 1 Tablet | 4.77 |
| 90 | Heparin | Injection 1000IU/mL | 1 ML | 18.92 |
| 91 | Heparin | Injection 5000IU/mL | 1 ML | 53.48 |
| 92 | Amitriptyline | Tablet 25mg | 1 Tablet | 2.16 |
| 93 | Fluoxetine | Capsule 20 mg | 1 Capsule | 3.56 |
| 94 | Fluoxetine | Capsule 60 mg | 1 Capsule | 9.90 |
| 95 | Fluoxetine | Capsule 40 mg | 1 Capsule | 5.79 |
| 96 | Fluoxetine | Capsule 10 mg | 1 Capsule | 2.96 |
| 97 | Tacrolimus | Capsule 0.5mg | 1 Capusle | 18.43 |
| 98 | Tacrolimus | Capsule 1mg | 1 Capusle | 36.23 |
| 99 | Tacrolimus | Capsule 2mg | 1 Capusle | 75.22 |
| 100 | Temozolomide | Capsule 20 mg | 1 Capsule | 393.60 |
| 101 | Temozolomide | Capsule 250mg | 1 Capsule | 3838.48 |
| 102 | Zolpidem | Tablet 5mg | 1 Tablet | 5.44 |
| 103 | Zolpidem | Tablet 10mg | 1 Tablet | 7.59 |
| 104 | Loperamide | Tablet 2mg | 1 Tablet | 2.03 |
| 105 | Risperidone | Tablet 1 mg | 1 Tablet | 2.66 |
| 106 | Risperidone | Tablet 2 mg | 1 Tablet | 4.00 |
| 107 | Risperidone | Tablet 4 mg | 1 Tablet | 6.56 |

**Note:**

(a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.

(b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through

IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[F. No. PN/237/105/2022/F /F. No. 8(105)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 5939(अ).—**भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमश तत्स्थानी प्रविश्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती हैः

**सारणी**

| **क्र.सं.** | **अनुसूचित विनिर्मिति का नाम** | **खुराक रूप एवं प्रबलता** | **इकाई** | **अधिकतम कीमत (रु.)** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | एटोरवास्टेटिन | गोली 80 मिलीग्राम | 1 गोली | 36.19 |
| 2. | सेफ्यूरोक्सिम | ओरल लिक्विड 125 मिलीग्राम / 5 मि.ली. (पी) | 1 मि.ली. | 4.71 |
| 3. | लैमीवुडीन | गोली 100 मिलीग्राम | 1 गोली | 9.28 |
| 4. | लैमीवुडीन | गोली 150 मिलीग्राम | 1 गोली | 9.69 |
| 5. | इट्राकोनाजोल | ओरल लिक्विड 10 मिलीग्राम / मि.ली. | 1 मि.ली. | 4.41 |
| 6. | वेलगैन्सीक्लोविर | गोली 450 मिलीग्राम | 1 गोली | 357.39 |
| 7. | लेनिलेडोमाइड | कैप्सूल 5 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | 59.98 |
| 8. | मोंटेलुकास्ट | गोली 4 मिलीग्राम | 1 गोली | 8.95 |
| 9. | मोंटेलुकास्ट | गोली 5 मिलीग्राम (चबाने योग्य सहित गोली) | 1 गोली | 10.45 |
| 10. | मोंटेलुकास्ट | गोली 10 मिलीग्राम | 1 गोली | 14.66 |
| 11. | डेकलाटसवीर | गोली 60 मिलीग्राम | 1 गोली | 178.34 |
| 12. | डॉलूटेग्रेविर | गोली 50 मिलीग्राम | 1 गोली | 100.59 |

**नोट:**

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितयों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्षित करेगा।

(च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2(यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[फा. सं. पीएन/237/105/2022/एफ/फा.न.8(105)/2022/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 19th December, 2022

**S.O. 5939(E).—**In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

| Sl. No. | Name of the Scheduled Formulation | Dosage form and strength | Unit | Ceiling Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Atorvastatin | Tablet 80mg | 1 Tablet | 36.19 |
| 2. | Cefuroxime | Oral liquid 125mg/5mL(p) | 1 ML | 4.71 |
| 3. | Lamivudine | Tablet 100mg | 1 Tablet | 9.28 |
| 4. | Lamivudine | Tablet 150mg | 1 Tablet | 9.69 |
| 5. | Itraconazole | Oral liquid 10mg/mL | 1 ML | 4.41 |
| 6. | Valganciclovir | Tablet 450 mg | 1 Tablet | 357.39 |
| 7. | Lenalidomide | Capsule 5mg | 1 Capsule | 59.98 |
| 8. | Montelukast | Tablet 4 mg | 1 Tablet | 8.95 |
| 9. | Montelukast | Tablet 5 mg (including chewable Tablet s) | 1 Tablet | 10.45 |
| 10. | Montelukast | Tablet 10 mg | 1 Tablet | 14.66 |
| 11. | Daclatasvir | Tablet 60mg | 1 Tablet | 178.34 |
| 12. | Dolutegravir | Tablet 50mg | 1 Tablet | 100.59 |

**Note:**

(a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.

(b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[F. No. PN/237/105/2022/F /F. No. 8(105)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.20 14:42:10 +05'30'